उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सदाकत मिंया
बनाम
हाजी मो0 शमीम

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **03/2021–22**

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

अपीलार्थी सदाकत मिंया पिता – स्व0 सरताली मिंया ग्राम–जामा मस्जिद रोड़ टोटो पो0–टोटो थाना– गुमला जिला– गुमला के द्वारा उप–समाहर्त्ता, भूमि सुधार गुमला के दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या 09/2020–21 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर U/s-16 of the Bihar Tenant's Holding Maintenance of Records Act 1973 के तहत् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय ने जो इस वाद में अपीलार्थी हैं उनको वगैर सूचना दिये वाद को निष्पादित कर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि मोबाईल नं0–8969982920 के माध्यम से उनको सूचना अवगत कराया गया, इस बाबत् अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जो मोबाईल नं0 से उनको सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह मोबाईल नं0 अपीलाथी का नहीं है। अपीलार्थी द्वारा लिखित रुप में प्रतिवेदित किया गया है उनके घर में अपीलार्थी के पुत्र मो0 इसराक आलम के पास मोबाईल है जिसका मोबाईल नं0 9570656208 और 6205791829 है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त निम्न न्यायालय को निदेशित किया जाता है कि उभय पक्षों को विधिसम्मत सूचना निर्गत कर वाद निष्पादन हेतु Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

18.04.22
उपायुक्त,
गुमला

18.04.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:28:57 +05:30
Location: 192.168.5.104

Scanned with OKEN Scanner